

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

निजी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी.डिग्री सीट्स पर प्रवेश / पुर्नआवंटन
संबंधी सूचना

(प्री पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 के आधार पर प्रथम काउंसिलिंग में निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आवंटित सीट्स एवं आप्ट फॉर वेटिंग के उम्मीदवारों को प्रवेश/पुर्नआवंटन बाबत)

व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा, 2009 के आधार पर निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसिलिंग दिनांक 28.4.2009 से 02.05.2009 तक जिन उम्मीदवारों द्वारा एम0डी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 की सीट्स निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आवंटित करवाई जा चुकी है तथा जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम प्रतीक्षा सूची (आप्ट फॉर वेटिंग) में रखे गये है ऐसे उम्मीदवार पुर्नआवंटन हेतु दिनांक 12.06.09 को प्रातः 9.00 बजे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में उपस्थित होंगे । पुर्नआवंटन बाबत कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

दिनांक	पाठ्यक्रम का नाम	श्रेणी	वे उम्मीदवार जिन्हे उपस्थित होना है ।
12.6.2009	एम0डी0एस0	अनूसूचित जनजाति अनूसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग अनारक्षित श्रेणी	वे उम्मीदवार जिनके द्वारा एम0डी0एस0 की सीट चयनित/आवंटन लिया गया है एवं आप्ट फॉर वेटिंग के समस्त उम्मीदवार ।
12.6.2009	एम0डी0 / एम0एस0	अनूसूचित जनजाति अनूसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग अनारक्षित श्रेणी	वे उम्मीदवार जिनके द्वारा एम0डी0 / एम0एस0 की सीट चयनित/आवंटन लिया गया है एवं आप्ट फॉर वेटिंग के समस्त उम्मीदवार ।

आयोजित किये जा रहे पुर्नआवंटन के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से काल लेटर जारी नहीं किये जा रहे है ।

उपरोक्तानुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को पुर्नआवंटन में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा ।

किसी भी श्रेणी की सीटें समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की पुर्नआवंटन प्रक्रिया वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) क्रमांक 13111/09 माडर्न डेंटल कालेज विरुद्ध म0प्र0 शासन में दिनांक 27.5.09 को पारित अनंतिम निर्णय के परिपेक्ष्य में निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पुर्नआवंटन हेतु निम्नानुसार सीट्स उपलब्ध रहेंगी ।

स0क्र0	महाविद्यालय का नाम	सीट्स की संख्या	रिमार्क
1-	आर0डी0गार्डी0 मेडिकल कालेज, उज्जैन	10	शासन के नियमानुसार श्रेणीवार विभाजन किया जायेगा ।
2-	माडर्न डेंटल कालेज, इंदौर	10	शासन के नियमानुसार श्रेणीवार विभाजन किया जायेगा ।
3-	पीपुल्स कालेज ऑफ डेंटल साइंसेस एवं रिसर्च सेंटर, भानपुर, भोपाल	10	शासन के नियमानुसार श्रेणीवार विभाजन किया जायेगा ।

नोट :-

- 1- सीट्स की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी सूचना पुर्नआवंटन स्थल पर ही चस्पा कर दी जावेगी ।
- 2- यदि उल्लेखित पुर्नआवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सूचना पुर्नआवंटन स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
- 3- एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को पुर्नआवंटन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।
- 4- पुर्नआवंटन के पश्चात् दिनांक 28.04.09 से 02.05.09 तक की काउन्सिलिंग के आधार पर आवंटित निजी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को आवंटित सीटें स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश